

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -129/2022-23

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

राधागोबिन्द मुण्डा बनाम कृष्ण उराँव वगैरह

27.04.23

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

राधागोबिन्द मुण्डा पिता-स्व० हरी सिंह मुण्डा, ग्राम-कोन्ताटोली, पो०-सताकी, थाना-अनगड़ा, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती।

क्रेता का नाम एवं पता -

1.कृष्ण उराँव वो 2.महावीर उराँव दोनो पिता-उधव उराँव, ग्राम-कनकट्टा, पो०-सताकी, थाना-अनगड़ा, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-उराँव, पेशा-खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-06/12/2022 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता 1.कृष्ण उराँव वो 2.महावीर उराँव दोनो पिता-उधव उराँव, ग्राम-कनकट्टा, पो०-सताकी, थाना-अनगड़ा, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-उराँव, पेशा-खेती, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
कोन्ताटोली	अनगड़ा/39	109	999	10 डी० चौहद्दी:- उ०-सड़क। द०-नीज विक्रेता। पू०-नीज विक्रेता। प०-नीज विक्रेता।
			1014	05 डी० चौहद्दी:- उ०-ग्रामीण सड़क। द०-नीज विक्रेता। पू०-सत्यवादी उराँव। प०-नीज विक्रेता।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-21(ii) दिनांक-17/01/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत रीझा बाबू पिता-हरी सिंघ के नाम से दर्ज है।

८




- (2) विक्रेता पंजी-II रैयत के पुत्र है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम हरि सिंह मुण्डा पिता-रीझा सिंह है। तथा रैयत के पास रकबा-5.64 एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2018-19 तक वसूली गयी है।
- (5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पिता-पुत्र का है। तथा खयितानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास पर्याप्त भूमि शेष बचती है।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक घरेलु कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जनजाति के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना क्षेत्र के निवासी है।



उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत विक्रेता राधागोबिन्द मुण्डा पिता-स्व० हरी सिंह मुण्डा, ग्राम-कोन्ताटोली, पो०-सताकी, थाना-अनगड़ा, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती, को क्रेता 1.कृष्ण उराँव वो 2.महावीर उराँव दोनो पिता-उधव उराँव, ग्राम-कनकट्टा, पो०-सताकी, थाना-अनगड़ा, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-उराँव, पेशा-खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-06/12/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त वर्णित भूमि की विक्रेता राधागोबिन्द मुण्डा पिता-स्व० हरी सिंह मुण्डा, ग्राम-कोन्ताटोली, पो०-सताकी, थाना-अनगड़ा, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती, को क्रेता 1. कृष्ण उराँव वो 2.महावीर उराँव दोनो पिता-उधव उराँव, ग्राम-कनकट्टा, पो०-सताकी, थाना-अनगड़ा, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-उराँव, पेशा-खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)a के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि सुधार  समाहर्ता।  
बुण्डू (राँची)

लेखापित एवं संशोधित।

  
भूमि सुधार  समाहर्ता।  
बुण्डू (राँची)